

ले-आउट प्लान स्वीकृति पत्र

मै0 बी.डी.आई. होम्स प्रा0 लि0,
सी-47 नारायण विहार
नई दिल्ली- 110028

विषय:- मै0 बी.डी.आई. होम्स प्रा0 लि0 सी-47 नारायण विहार, नई दिल्ली- 110028 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अनिल खन्ना द्वारा ग्राम खिजुरीवारा, तह0 जिला खैरथल-तिजारा (राज0) के खसरा नं0 1425/992, 1427/993, 1424/992, 1426/99, 1497/1492 एवं 1494/990 कुल किता 06 कुल रकबा 2.4187 है0 भूमि (योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 22460.95 वर्ग मी0) का आवासीय प्लॉट डेड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान स्वीकृति वायत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक मै0 बी.डी.आई. होम्स प्रा0 लि0 सी-47 नारायण विहार, नई दिल्ली- 110028 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अनिल खन्ना द्वारा ग्राम खिजुरीवारा, तह0 जिला खैरथल-तिजारा (राज0) के खसरा नं0 1425/992, 1427/993, 1424/992, 1426/99, 1497/1492 एवं 1494/990 कुल किता 06 कुल रकबा 2.4187 है0 भूमि का आवासीय प्लॉट डेड प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान समिति की 31वाँ बैठक दिनांक 27.05.2024 के एजेण्डा 03 में रखा गया। आवेदक द्वारा दिनांक 13.06.2024 को नियमानुसार राशि जमा करवाये जाने के पश्चात समिति के निर्णय अनुसार निम्न शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. टाउनशिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015, बीडा मॉडल भवन विनियम 2021 एवं संबंधित परिपत्रों के प्रावधानों की पालना विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
2. ले-आउट प्लान में प्रस्तावित व्यवसायिक भूखण्डों में भवन निर्माण कार्य किए जाने से पूर्व भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप निर्माण स्वीकृति ली जावेगी, एवं भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं बीडा मॉडल भवन विनियम 2021 के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।
3. योजना में समस्त आन्तरिक विकास कार्य यथा ड्रेनेज, पानी, विद्युत, पार्क, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, वर्षा जल संग्रहण एवं अन्य सुविधाओं का विकास विकासकर्ता को टाउनशिप नीति एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं सम्बंधित विभागों के मापदण्डों के तहत सुनिश्चित करना होगा।
4. सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन बीडा द्वारा नियमानुसार कराया जावेगा।
5. विकासकर्ता द्वारा तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में योजना के विकास कार्य करवाये जावेंगे।
6. विकास कर्ता द्वारा आमजन को सूचित करने हेतु योजना में उपयुक्त स्थल पर स्वीकृत ले-आउट प्लान के मानचित्र का बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. आन्तरिक विकास सुनिश्चित किए जाने बाबत विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित योजना में 12.50 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे गये हैं। रहन रखे गये भूखण्डों को ले-आउट प्लान में दर्शाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्डों का वेचान/आवंटन/बुकिंग योजना में विकास कार्य करवाये जाने के पश्चात बीडा से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जावेगा।
8. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार पार्क का विकास तथा रखरखाव किया जाना होगा।
9. योजना की क्रियाविधि के समय जल प्रदूषण नियारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1987, वायु प्रदूषण नियारण अधिनियम एवं नियंत्रण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं उक्त अधिनियमों के तहत बने विभागों आदि के सभी संबंधित प्रावधानों की दृढ़ता पूर्वक विकासकर्ता को पालना करना होगा।

8092853



Signature valid

Digitally signed by Salini Khemka
Designation: Chief Executive Officer
Date: 2024.06.14 17:54:53 IST
Reason: Approved

हरित भिवाड़ी

© 2024 Approved Layout

10. ले-आउट प्लान जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/वकाया राशि को बीडा द्वारा मांग की जाने पर विकासकर्ता द्वारा उक्त राशि बीडा कोष में जमा करानी होगी।
11. ले-आउट प्लान में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जावेगा।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि बीडा को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के सक्षम किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. योजना मानचित्र स्वीकृति दिनांक से 6 माह की समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा। साथ ही 36 माह की समयावधि में समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण किये जाने होंगे।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालना नहीं होने पर ले-आउट प्लान की अनुज्ञा रद्द मानी जावेगी।

संलग्न:- ले-आउट प्लान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बीडा भिवाड़ी

क्रमांक/आयोजना/बीडा/

दिनांक

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता बीडा भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बीडा भिवाड़ी

RajKaj Ref
8092053

Signature valid

Digitally signed by Saloni Khemka
Designation: Chief Executive Officer
Date: 2024.08.14/13:54:53 IST
Reason: Approved

हरित भिवाड़ी

E:\2024 Approval Layout\0

